न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 21/2022

अपीलांट–

1 हुकमाराम पुत्र गेनाराम के कायम मुकाम

2 नरसींगा पुत्र हुकमाराम

2.1 जुंझा पुत्र हुकमा के कायम मुकाम

2-1.1 हीराराम पुत्र जुझाराम

2-1.2 सुजादेवी पत्नी जुंझाराम

2.2 रिडमल पुत्र हुकमाराम

2.3 बगताराम पुत्र हुकमाराम

2.4 आसु पुत्र हुकमाराम के कायम मुकाम

2-4.1 मालुदेवी पत्नी आसुराम

2-4.2 दीपाराम पुत्र आसुराम

2-4.3 दुदाराम पुत्र आसुराम

3 महेन्द्रा पुत्र गेना के कायम मुकाम

3.1 टीकमाराम पुत्र महेन्द्राराम कायम मुकाम

3-1.1 देऊ पत्नी टीकमाराम

3-1.2 भलाराम पुत्र टीकमाराम

3-1.3 करमीराम पुत्र टीकमाराम

जाति राईका निवासी जूनी उन्दरी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 श्रीमान तहसीलदार, गुडामालानी जिला बाडमेर

2 दर्जाराम पुत्र गेनाराम के कायम मुकाम

2.1 तगाराम पुत्र दर्जाराम

2.2 बींजाराम पुत्र दर्जाराम

2.3 चैनाराम पुत्र दर्जाराम

3 लिखमाराम पुत्र गेनाराम के कायम मुकाम

3.1 जोगाराम पुत्र लिखमाराम

3.2 दलाराम पुत्र लिखमाराम

3.3 वीराराम पुत्र लिखमाराम

जाति राईका निवासी जूनी उन्दरी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक एल आर/2020/399 दिनांक 04.09.2000 जो तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलांटगण व उतरदातागण की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेश विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पों. 2/1 से 2/3 की ओर से उपस्थित एवं रेस्पों 3/1 से 3/3 अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफोर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 07.01.2026

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गुडामालानी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक एल आर/2020/399 दिनांक 04.09.2000 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा जुनी उन्दरी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर के खेत खसरा नंबर 286, 287, 300, 301 व 305 कुल रकबा 266–17 बीघा का आया हुआ है। उक्त खेत के खातेदारों ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.09.2000 को तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 399 दिनांक 04.09.2000 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.12.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट् को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार गुडामालानी द्वारा

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक 399 दिनांक 04.09.2000 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलाधीन आदेश पक्षकारान के मौके पर कब्जा एवं रकबा अनुसार नहीं है तथा यह नक्शा दोनों पक्षों के विवाद का कारण बन गया है। सभी पक्षों ने अपने हिस्से के अनुसार आपसी मौखिक विभाजन अनुसार काश्त कब्जा है, पक्षकारान की पृथक–पृथक आवासीय ढाणियां बनी हुई है। अपीलांट संख्या 1 व 2 के प्रत्येक परिवार की एवं उतरदाता संख्या 2 व 3 प्रत्येक परिवार की आवासीय ढाणियां आज पृथक–पृथक बनी हुई है। उतरदाता संख्या 2 द्वारा विभाजन प्रस्ताव के समय पटवारी हल्का से आवश्यक कागजात तैयार कर हस्ताक्षरों हेतु अपीलांट्स के समक्ष पेश किए। तब अपीलांट्स ने अपने निशान हस्ताक्षर/अंगुष्ठ लगाने से पहले प्रकट किया कि पहले भूमि की पैमाईश कर मौके पर चिह्नित की जाए ताकि प्रत्येक पक्ष की स्थिति स्पष्ट हो जाए परंतु उस समय बताया गया कि मौके पर पैमाईश निरीक्षक भू–अभिलेख की उपस्थिति में कर नक्शे में चिन्हित किया जावेगा, अभी तो विभाजन हेतु आवेदन तैयार किया जाना है और इस पर अपीलांट्स व उनके पूर्वजों ने पटवारी द्वारा बताए स्थानों पर कागजात पर हस्ताक्षर निशान अंगुष्ठ कर कागजाता उतरदाता संख्या 2 को हल्का पटवारी की उपस्थिति में विभाजन हेतु सौंपे गए। उक्त विभाजन आदेश पारित करने से पूर्व इस आवेदन के तथ्यों व भौतिक कब्जे की स्थिति तथा खातेदारान की सहमति बाबत् कोई पूछताछ न कर इस पर यांत्रिक रूप से अपना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, एवं उपजाऊ भूमि उतरदातागण के हिस्से में दी गई है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धात के विपरीत है। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट्स द्वारा जब सीमाज्ञान के कारण उठे विवाद पर तहसील कार्यालय में जाकर दिनांक 10.05.2022 को नकलें प्राप्त की तब सर्वप्रथम उक्त गलत विभाजन का ज्ञान हुआ व अपील वास्तविक ज्ञान की तारीख से अंदर म्याद पेश है। इस प्रकार से ज्ञान होने की तारीख से अन्दर मयाद पेश है तथा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। इस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा अपने अपने जवाब में प्रकट किया गया कि अपीलांट्स द्वारा तहसील गुडामालानी द्वारा भूमि के सहमति विभाजन बाबत पारित आदेश 399 दिनांक 04.09.2000 के विरुद्ध मनगढत व बेबुनियाद तथ्यों पर म्याद बाहर अपील पेश की है। अपीलांट्स व उतरदातागण ने उक्त भूमि

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

का आपसी सहमति से मौके पर उभय पक्षकारान आपसी सहमति से पूर्व में किए गए बाहामी बंटवाडा व कब्जा काश्त के अनुसार सहमति से बंटवाडा करवाने हेतु विभाजन प्रस्ताव बनाकर तहसीलदार के समक्ष पेश किए गए। इस प्रकार आलोच्य विभाजन आदेश सही है। उतरदातागण द्वारा अपने हिस्से की भूमि को मेहनत कर खाद बीज डालकर उपजाऊ बनाने के बाद उनकी भूमि हडपने की नियत से गलत रूप से यह अपील पेश की गई है। सहमति विभाजन के बाद लट्ठा ट्रेस में सही तरमीम की गई है तथा लट्ठा ट्रेस की वर्तमान तरमीम व पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त की में पूर्णतया समानता है तथा पक्षकारान के मध्य मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही सही विभाजन किया गया है। अपीलांट द्वारा इतने लंबे समय तक अर्थात 24 वर्ष तक उक्त विभाजन के बारे में कोई उजर एतराज नहीं किया गया है तथा अपीलांट्स द्वारा इतने लंबे विलंब से अपील पेश करने के बारे में कोई विधिक व युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाया गया है। अतः अपीलांट्स द्वारा दायर अपील खारिज किए जाने हेतु निवेदन किया है।

7. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख एवं तहसीलदार नोखड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक 399 दिनांक 04.09.2000 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलाधीन आदेश पक्षकारान के मौके पर कब्जा एवं रकबा अनुसार नहीं है तथा यह नक्शा दोनों पक्षों के विवाद का कारण बन गया है। सभी पक्षों ने अपने हिस्से के अनुसार आपसी मौखिक विभाजन अनुसार काश्त कब्जा है, पक्षकारान की पृथक–पृथक आवासीय ढाणियां बनी हुई है। अपीलांट संख्या 1 व 2 के प्रत्येक परिवार की एवं उतरदाता संख्या 2 व 3 प्रत्येक परिवार की आवासीय ढाणियां आज पृथक–पृथक बनी हुई है। उतरदाता संख्या 2 द्वारा विभाजन प्रस्ताव के समय पटवारी हल्का से आवश्यक कागजात तैयार कर हस्ताक्षरों हेतु अपीलांट्स के समक्ष पेश किए। तब अपीलांट्स ने अपने निशान हस्ताक्षर/अंगुष्ठ लगाने से पहले प्रकट किया कि पहले भूमि की पैमाईश कर मौके पर चिह्नित की जाए ताकि प्रत्येक पक्ष की स्थिति स्पष्ट हो जाए परंतु उस समय बताया गया कि मौके पर पैमाईश निरीक्षक भू–अभिलेख की उपस्थिति में कर नक्शे में चिन्हित किया जावेगा, अभी तो विभाजन हेतु आवेदन तैयार किया जाना है और इस पर अपीलांट्स व उनके पूर्वजों ने पटवारी द्वारा बताए स्थानों पर कागजात पर हस्ताक्षर निशान अंगुष्ठ कर कागजाता उतरदाता

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

संख्या 2 को हल्का पटवारी की उपस्थिति में विभाजन हेतु सौंपे गए। उक्त विभाजन आदेश पारित करने से पूर्व इस आवेदन के तथ्यों व भौतिक कब्जे की स्थिति तथा खातेदारान की सहमति बाबत् कोई पूछताछ न कर इस पर यांत्रिक रूप से अपना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, एवं उपजाऊ भूमि उतरदातागण के हिस्से में दी गई है, जो प्राकृतिक न्याय के सिंद्धात के विपरीत है। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट्स द्वारा जब सीमाज्ञान के कारण उठे विवाद पर तहसील कार्यालय में जाकर दिनांक 10.05.2022 को नकलें प्राप्त की तब सर्वप्रथम उक्त गलत विभाजन का ज्ञान हुआ व अपील वास्तविक ज्ञान की तारीख से अंदर म्याद पेश है। इस प्रकार से ज्ञान होने की तारीख से अन्दर मयाद पेश है तथा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। इस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किये जाने का निवेदन किया। रेस्पोडेंट संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रकट किया कि अपीलांट्स द्वारा तहसील गुडामालानी द्वारा भूमि के सहमति विभाजन बाबत पारित आदेश 399 दिनांक 04.09.2000 के विरुद्ध मनगढत व बेबुनियाद तथ्यों पर म्याद बाहर अपील पेश की है। अपीलांट्स व उतरदातागण ने उक्त भूमि का आपसी सहमति से मौके पर उभय पक्षकारान आपसी सहमति से पूर्व में किए गए बाहामी बंटवाडा व कब्जा काश्त के अनुसार सहमति से बंटवाडा करवाने हेतु विभाजन प्रस्ताव बनाकर तहसीलदार के समक्ष पेश किए गए। इस प्रकार आलोच्य विभाजन आदेश सही है। उतरदातागण द्वारा अपने हिस्से की भूमि को मेहनत कर खाद बीज डालकर उपजाऊ बनाने के बाद उनकी भूमि हडपने की नियत से गलत रूप से यह अपील पेश की गई है। सहमति विभाजन के बाद लट्ठा ट्रेस में सही तरमीम की गई है तथा लट्ठा ट्रेस की वर्तमान तरमीम व पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त की में पूर्णतया समानता है तथा पक्षकारान के मध्य मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही सही विभाजन किया गया है। अपीलांट द्वारा इतने लंबे समय तक अर्थात 24 वर्ष तक उक्त विभाजन के बारे में कोई उजर एतराज नहीं किया गया है तथा अपीलांट्स द्वारा इतने लंबे विलंब से अपील पेश करने के बारे में कोई विधिक व युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाया गया है। अतः अपीलांट्स द्वारा दायर अपील खारिज किए जाने हेतु निवेदन किया है। हमने उक्त विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार नोखड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर मनन किया गया जिसमें यह पाया गया कि ग्राम धोलकिया के मूल खसरा संख्या 286, 287, 300, 301 व 305 रकबा

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

क्रमशः 74 बीघा 4 बीस्वा, 42 बीघा 1 बीस्वा, 88 बीघा, 43 बीघा व 19 बीघा 12 बीस्वा कुल रकबा 266 बीघा 17 बीस्वा का सहमति विभाजन तहसीलदार गुडामालानी द्वारा किया गया। तहसीलदार नोखड़ा से प्राप्त मौका कब्जा रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज रकबा एवं नक्शा में अंकित तरमीम अनुसार समस्त खातेदारों की रहवासिय ढाणियां एक–दूसरे के खसरों में आ रही है, अर्थात् मौका कब्जा व रिकॉर्ड में भिन्नता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार गुडामालानी द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक एल आर / 2020 / 399 दिनांक 04.09.2000 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार नोखड़ा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि तहसीलदार नोखड़ा स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अति. जिला कलेक्टर, बाड़मेर